न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 320/2019 (208/2018)

GCMS NO. : 2018/00110

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1.ढगलाराम पुत्र मोहन जाति बावरी निवासी रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी, राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 31/07/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक वंशावली वादपत्र में अंकित है। सरहद मौजा रामावास कलां तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 8–08 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 5–11 बीघा कुल रकबा 13–19 बीघा आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 में दर्ज खातेदार कनिया, ढगलीया, पिसरान सुजा इन्द्राज है, जो गलत इन्द्राज चला आ रहा है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 121 रकबा 8–08 बीघा कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2023–2026 में खातेदार सुजीया पुत्र नेना का 1/2 हिस्सा व भीवड़ा पुत्र नेना का 1/2 हिस्से के खातेदार है। उक्त जमाबन्दी मे खातेदार सुजीया की मृत्यु होने पर जरिये मूटेशन नम्बर 61 के द्वारा मोहन, ढगलीया, कनिया, पिसरान सुजा दर्ज हुआ। आगामी जमाबन्दी संवत् 2027–2030, 2031–2034, व 2035–2038 में इन्ही खातेदारान के नाम दर्ज है। इस जमाबन्दी मे खातेदार भीवड़ा पुत्र नैना के फौत होने पर जरिये म्यूटेंशन नम्बर 185 दिनांक 21.01.1983 को भीवड़ा के कोई वारिसान नही होने पर उसके भाई सुजा के वारिसान मोहन, कनिया, ढगलिया पि0 सूजा इन्द्राज किया गया, इस प्रकार खसरा नम्बर 121 रकबा 8–08 बीघा के खातेदार मोहन, कनिया, ढगलिया भी सूजा का नाम संवत् 2039–2042, 2044–2047, 2048–2051, 52–2055, 2056–2059, 2060–2063, 2064–2067, 2068–2071 व वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–2075 मे इन्हीं खातेदारान के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 123 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:50:49 IST
Reason: SelfAttested

5-11 बीघा कृषि भूमि जमाबन्दी सवंत् 2019-2022 व 2023-2026 में खातेदार सूजा पुत्र नैना इन्द्राज है। इसी जमाबन्दी मे सूजिया की मृत्यु होने पर म्यूटेंशन नम्बर 60 के द्वारा मोहन, कनिया, ढगलिया पि0 सूजा दर्ज किया। संवत् 2027-2030 में खातेदार मोहन, कनिया, ढगलिया पि0 सूजा का नाम इन्द्राज है। बाद की बनी जमाबन्दी संवत 2031-2034, 2035-2038, 2039-2042, 2044-2047, 2048-2051, 2052-2055, 2056-2059, 2060-2063 में इन्हीं खातेदारान के नाम दर्ज है तत्पश्चात् 2060-2063 के बीच खातेदार मोहनलाल की मृत्यु होने पर आगामी बनी जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में मोहनलाल के विधिक वारिस वादी ढंगलाराम पुत्र मोहन इन्द्राज हुआ। शेष खाता बदस्तूर रहा जो वर्तमान जमाबन्दी 2072-2075 में खातेदार खसरा नम्बर 121 व 123 के ढगलाराम पुत्र मोहन, कनिया, ढगलीया पि0 सूजा कौम बावरी इन्द्राज है। सूजा के एक मात्र वारिस मोहनलाल था व मोहनलाल के एक मात्र वारिस वादी ढगलाराम ही है जो वादी द्वारा प्रस्तुत परिवार कार्ड, भारत सरकार जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड से भी स्पष्ट है तथा वादी के गांव रामावास कला में स्थित अन्य खसरा नम्बर 46, 47 व 43 की कृषि भूमि मे ढगलाराम पुत्र मोहनलाल के नाम की जमाबन्दी है मोहनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ पेश है। ढगलिया व कनिया पिसरान सूजा नाम के कोई व्यक्ति गांव रामावास कला में नही है। सूजा की मृत्यु होने पर पुत्र व पौते का नाम भी जमाबन्दी मे इन्द्राज कर दिया गया था इस प्रकार वाद मे वर्णित कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार वादी ही है जो वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से साबित है। वादी द्वारा जमाबन्दी में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदार कनिया व ढगलिया पुत्र सूजा नाम के कोई व्यक्ति ग्राम रामांवास कला मे नही होने बाबत् एक रिपोर्ट भी थाना जैतारण मे प्रस्तुत की, परन्तु कोई कार्यवाही नही की। वादपत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 121 रकबा 8-08 बीघा व खसरा नम्बर 123 रकबा 5-11 बीघा कुल रकबा 13-19 बीघा के एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी ही है। मौके पर कब्जा काश्त है यदि अन्य खातेदार जिनके ढगलिया व कनिया का नाम इन्द्राज रहता है तो वादी अपने अधिकारों से महरूम होना पड़ता है व वादी को असीम हानि होती है व वादी ने अपने खाते में सही इन्द्राज करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2018 को प्रतिवादी तहसीलदार जी को प्रस्तुत किया तो उन्होनें सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु कहा तब वादी ने यह वाद घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25.07.2018 को वादी के साथ जमाबन्दी मे इन्द्राज अन्य खातेदारान का नाम हटाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करने हेतु कहा, तब बमुकाम रामावास कला तहसील जैतारण जिला पाली मे पैदा हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादी ने अपनी पैतृक वंशावली पेश की है जो वादी स्वयं साक्ष्य दस्तावेज के साबित करें। राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तथ्य माफिक रेकॉर्ड स्वीकार है। ग्राम रामावास कलां की जमाबन्दी संवत् 2023-2026 में खसरा नम्बर 121 रकबा 8-08 बीघा में खातेदार सुजीया पुत्र नेना 1/2, भीवड़ा पुत्र नेना 1/2 कौम बावरी दर्ज है। सुजीया की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण में सुजीया (फौत) के थान पर मोहन, ढगलीया, कनीया पि0 सुजा 1/2 का नाम दर्ज किया गया। वादी के अनुसार स्व0 सुजाराम उर्फ सुजिया के एक मात्र पुत्र मोहनलाल ही था। ढगलिया उर्फ ढगलाराम मोहनलाल का पुत्र है तथा कनिया नाम का कोई व्यक्ति गांव रामावास में नहीं रहता है। इस संबंध में पटवारी हल्का रामावास कलां से जांच करवाई गई। पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार सुजाराम के एक पुत्र मोहनलाल था तथा मोहनलाल के एक पुत्र ढगलाराम है। वर्तमान में मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि पर ढगलाराम का कब्जा काश्त है। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार कनिया नाम का कोई व्यक्ति इनके खानदान में पैदा ही नहीं हुआ। गांव के मौजिज व्यक्तियों ने बताया कि कनीया पुत्र सुजा तथा ढगलीया पुत्र सुजा बावरी नाम के कोई व्यक्ति ग्राम रामावास कलां में निवास नहीं करते है। मौके पर ढगलाराम का कब्जा काश्त है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी ढगलाराम पुत्र मोहन का एवं अन्य गवाह गणपतलाल पुत्र बंशीलाल, पेमाराम पुत्र हमीरराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादी द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रामावास कलां पटवार हल्का रामावास कलां में खसरा नम्बर 121 रकबा 08-08 बीघा किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 123 रकबा 5-11 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज किया जावें तथा जमाबन्दी में दर्ज नाम कनिया, ढगलिया पि0 सूजा का नाम हटाया जावें।
2. वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं की एवं गणपतलाल पुत्र बंशीलाल, पेमाराम पुत्र हमीरराम का शपथ-पत्र क्रमशः P/W 01, P/W 02 एवं P/W 03 प्रस्तुत किये। वादी के वाद के समर्थन में दस्तावेज यथा जमाबंदी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:58:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

2019–2022 (प्रदर्श–1), संवत् 2023–2026 (प्रदर्श–2), संवत् 2023–2026 (प्रदर्श–3), संवत् 2027–2030 (प्रदर्श–4), संवत् 2031–2034 (प्रदर्श–5), संवत् 2035–2038 (प्रदर्श–6), संवत् 2039–2042 (प्रदर्श–7), संवत् 2044–2047 (प्रदर्श–8), संवत् 2048–2051 (प्रदर्श–9), संवत् 2052–2055 (प्रदर्श–10), संवत् 2056–2059 (प्रदर्श–11), संवत् 2060–2063 (प्रदर्श–12), संवत् 2064–2067 (प्रदर्श–13), संवत् 2068–2071 (प्रदर्श–14), संवत् 2072–2075 (प्रदर्श–15), संवत् 2072–2075 (प्रदर्श–17), वादी का आधार कार्ड (प्रदर्श–16ए) प्रदर्श करवाए गए एवं वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि, वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि भी दावे में प्रस्तुत किये गए।

3. पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2019–2022 (प्रदर्श–1) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में खसरा संख्या 123 के लिए खातेदार काश्तकार सुजीया वल्द नेना एवं खसरा संख्या 121 के लिए खातेदार काश्तकार सुजीया, भीवडा पि0 नेना खातेदार काश्तकार थे। जमाबंदी संवत् 2023–2026 (प्रदर्श–2,3) में अंकित नोट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 123 के लिए नामान्तकरण संख्या 60 से सुजीया वल्द नेना के स्थान पर मोहन, कानीया, ढगली पि0 सूजा दर्ज किया गया एवं खसरा संख्या 121 के लिए नामान्तकरण संख्या 61 से सुजीया वल्द नेना के स्थान पर मोहन, कानीया, ढगली पि0 सूजा दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2027–2030 (प्रदर्श–4) एवं संवत् 2031–2034 (प्रदर्श–5) में खसरा संख्या 123 एवं 121 में मोहन, कानीया, ढगलिया पि0 सुजा का नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2035–2038 (प्रदर्श–6) में खसरा संख्या 121 के लिए अंकित नोट अनुसार नामान्तकरण संख्या 185 से भीवडा के स्थान पर मोहन, कानीया, ढगलीया पि0 सुजा का नाम दर्ज किया गया। उसके उपरान्त कालान्तर में जमाबन्दी संवत् 2039–42 (प्रदर्श–7), 2044–2047 (प्रदर्श–8), 2048–2051 (प्रदर्श–9), 2052–2055 (प्रदर्श–10), 2056–2059 (प्रदर्श–11), 2060–2063 (प्रदर्श–12) में खसरा संख्या 123, 121 के लिए मोहन, कानीया, ढगलीया पि0 सूजा का नाम दर्ज रहा। जमाबन्दी संवत् 2064–2067 (प्रदर्श–13), 2068–2071 (प्रदर्श–14), 2072–2075 (प्रदर्श–15) में ढगलाराम पुत्र मोहन, कनीया, ढगलिया पि0 सूजा का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा खसरा संख्या 43,46,47 की ज[illegible] संवत् 2072–2075 (प्रदर्श–17) दावे के साथ प्रस्तुत की गई, जिसमें [illegible] खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

4. वादी द्वारा वाद–पत्र में कथन किया गया है कि मोहनलाल सुजीया का एकमात्र वारिस है एवं वादी भी मोहनलाल का एकमात्र वारिस है। सुजीया के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तकरण में वादी के पिता के साथ वादी के नाम का इन्द्राज ढगलिया के रूप में दर्ज कर दिया गया एवं कनिया नाम का इन्द्राज गलत कर दिया गया। ढगलिया एवं कनिया पिता सुजा नाम का कोई व्यक्ति गांव रामावास कलां में नहीं है। ढगलिया एवं कनिया पिता सुजा नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं होने बाबत् वादी ने एक रिपोर्ट थाना जैतारण में भी प्रस्तुत की है।

5. तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार सुजाराम के एक पुत्र मोहनलाल था तथा मोहनलाल के एक पुत्र ढगलाराम है। वर्तमान में मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि पर ढगलाराम का कब्जा काश्त है। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार कनिया नाम का कोई व्यक्ति इनके खानदान में पैदा ही नहीं हुआ। गांव के मौजिज व्यक्तियों ने बताया कि कनीया पुत्र सुजा तथा ढगलीया पुत्र सुजा बावरी नाम के कोई व्यक्ति ग्राम रामावास कलां में निवास नहीं करते है।

6. वादी द्वारा मोहनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र से मोहनलाल के पिता सूजाराम बावरी थे, यह स्पष्ट होता है। परन्तु सुजीया के एकमात्र वारिस वादी के पिता मोहनलाल थे, इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए है। वादी द्वारा स्वयं का आधार कार्ड (प्रदर्श–16ए) एवं अन्य दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र एवं भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी के पिता मोहनलाल है। परन्तु सुजीया के मोहनलाल के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं थे, इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए है।

7. नामान्तकरण एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसको समुचित जाँच उपरान्त भरा जाकर सत्यापित करा जाकर ग्राम पंचायत/तहसीलदार द्वारा निर्णित किया जाता है। जमाबन्दी संवत् 2023–2026 में सुजिया का फौतेदगी नामान्तरकण संख्या 60, 61 भरा गया एवं इस नामान्तकरण के लगभग 15 वर्ष बाद सुजिया के भाई भीवडा के नाऔलाद फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 185 भरा गया एवं 15 वर्षों बाद भरे गए नामान्तरकरण के लिए वादी के पिता द्वारा वक्त इन्द्राज कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई, साथ ही इस इन्द्राज को गलत साबित करने के लिए वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। वादी द्वारा वाद–पत्र में अंकित अपने पिता ए[illegible] के अन्य वारिसानों के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है।

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

8. किसी भी भू–अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना किसी विधिक आधारों के नहीं हटाया जा सकता है। वादी द्वारा अपने वाद को समुचित रूप से साबित करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किये हैं एवं न ही अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। जबकि वाद के सम्पूर्ण तथ्यों बाबत् पर्याप्त साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत कर उसको साबित करवाने का दायित्व वादी स्वयं का होता है। प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा अपनी पारिवारिक वंशावली, चुनौती दिये जा रहे म्युटेशन संख्या 60,61,185 की प्रतिलिपि, उसके विरूद्ध इससे पूर्व की गई कार्यवाही सम्बन्धी कोई स्पष्ट प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विद्रम अभिमत है कि वादी का वाद भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर शा0मि0 हो। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक–कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1.ढगलाराम पुत्र मोहन जाति बावरी निवासी रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी, राजस्थान सरकार।

मु०न० :रा०वा०स०– 320/2019 (208/2018)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–...... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावास कलां तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 8–08 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 5–11 बीघा कुल रकबा 13–19 बीघा आई हुई है। वाद वादी बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **31/07/2023** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज०)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	11.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	15.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो [illegible] बिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:49 IST
Reason: SelfAttested